अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.024 को विकास आयुक्त, झारखण्ड के सभाकक्ष में शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व, संग्रहण, कर, सेस, राजस्व के स्त्रोतों एवं अन्य मदों या स्त्रोतों से मिलने वाले अनुदानों पर विचार विमर्श हेतु बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–526/वि0आ0, दिनांक 23.02.2024 के द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का Term of Reference स्पष्ट है। पूर्व के चार आयोग में से प्रथम राज्य वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिर्फ शहरी निकायों हेंतु प्रस्ताव दिये थे। अन्य तीन वित्त आयोग कतिपय कारणों से अपना प्रतिवेदन नही दे पाया ।

3. आज दिनांक 21.03.2024 को अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता में निम्नांकित बिन्दुओं पर बैठक में भाग ले रहे विशेष आमंत्रित सदस्य श्री अमीत कुमार, भा0प्र0से0, नगर आयुक्त, राँची के साथ गहन चर्चा की गई।

(i) नगर आयुक्त, राँची, नगर निगम से नगर निगम के वित्तीय संसाधन यथा विभिन्न कर (Tax/Cess/Fee) के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। नगर आयुक्त द्वारा शहरी निकायो के विभिन्न आय के स्रोतों यथा संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पार्किंग, पार्क, विज्ञापन, जलकर, सैरात/बाजार/बारातघर/लॉज/धर्मशाला/स्लॉटर हाउस के बारे में जानकारी दी गई।

(ii) अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के द्वारा सभी करों एवं फीस के Devolution के संबंध में जानकारी ली गई एवं Revenue Collection में आ रही कठिनाईयों की भी जानकारी प्राप्त की गई । अध्यक्ष द्वारा अन्य राज्यों, महानगरों यथा मुम्बई, दिल्ली, बेंगालुरू, हैदराबाद में संपत्ति कर निर्धारित करने का क्या मॉडल है, एवं इनका भुगतान किस प्रकार किया जाता है इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(iii) बैठक में यह भी चर्चा की गई कि कौन–कौन से शहरी निकाय सुदृढ़ है और कौन–कौन से निकाय ऐसे है जिसके स्वयं के संसाधन बहुत अल्प है। श्री अमीत कुमार पूर्व में विभाग में निदेशक भी रहे हैं इसलिए उनके द्वारा इस विषय पर कतिपय जानकारी उपलब्ध कराई गई। विस्तृत जानकारी वर्तमान निदेशक द्वारा उपलब्ध कराना सम्भव होगा।

(iv) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम द्वारा जानकारी दी गई कि राँची नगर निगम के स्थापना व्यय (वेतन+पेंशन) का 75 प्रतिशत खर्च आंतरिक संसाधन से पूरा हो जाता है। यह वर्तमान में Property Tax के विधिवत निर्धारण (Self Assessment) तथा collection के online

होने के कारण सम्भव हुआ है। यह प्रयास सराहनीय है। यह स्थिति सम्भवतः अन्य नगर निगम की न हो।

(v) यह प्रश्न भी उठाया गया कि राज्य के सरकारी भवन, CPSUs तथा GoI के भवनों का property tax प्रायः प्राप्त नहीं होता है।

(vi) कंडिका 3 (v) के मामलों के समाधान के लिए क्या वित्त विभाग के स्तर पर ULBs तथा UD & HD के आपसी समन्वय कर सुलभ प्रक्रिया/रास्ता राज्य सरकार के भवनों के लिए खोजा जा सकता है ?

(vii) क्या composite government building का property tax का एक मुश्त/ Single point payment हो सकता है ? क्या इसका प्रावधान UD & HD के वार्षिक बजट में किया जा सकता है ? कंडिका 3 (vi) के लिए इस बिन्दू पर विचार किया जा सकता है।

(viii) अन्य राज्यों की राजधानी या best managed ULBs यथा Kolkata, Mumbai, Delhi, Banglore, Hyderabad, Indore इत्यादि का अध्ययन किया जा सकता है।

(ix) कतिपय CPSUs उक्त बिन्दू पर ULB-RMC के नोटिस/ आदेश को माननीय न्यायालय में विचारार्थ रखा है। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है, इसपर प्रभावी legal पहल की आवश्यकता है।

(x) क्या Same CPSUs का behaviour अलग–अलग राज्यों में different है ? इस बिन्दू का अध्ययन करने से कंडिका 3(ix) के मामलों का त्वरित समाधान सम्भव है।

4. 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा कतिपय अपेक्षा राज्य सरकारों से की गई थी। 4th राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस बिन्दू पर कतिपय पत्राचार की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

(ii) राज्य सरकार तथा भारत सरकार के विभागों के बीच काफी पत्राचार हुआ था जिसका संक्षिप्त ब्यौरा निम्न है –

(क) पंचायत राज मंत्रालय का पत्रांक 11013/14/2022–FD, दिनांक 12.12.2023 एवं M–11015/150/2020–FD दिनांक 09.05.2022 में कतिपय महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है जो भविष्य तथा वर्तमान समस्या के समाधान में उपयोगी होगा।

(ख) पत्रांक 11015/150/2020-FD, दिनांक 09.05.2022 जो 4th राज्य वित्त आयोग के संबंध में है, इससे स्पष्ट है कि निर्धारित समय सीमा का पालन करने में यह पत्र उपयोगी रहा होता।

(ग) पत्रांक 11025/01/2020-21-AMRDT-IIB (Part-II) दिनांक 06.10.2022 यह ULB के लिये उक्त पत्रों के अनुसार था।

(iii) 5वें राज्य वित्त आयोग के स्तर पर इन पत्राचारों पर अद्यतन प्रतिक्रिया देना सम्भव नहीं है। आयोग विभिन्न संस्थागत बिन्दुओं पर अद्यतन स्थिति से अपने पूर्व की बैठक एवं 20.03.2024 की बैठक में प्रशासी विभाग को अवगत करा चुका है।

(iv) वर्णित स्थिति एवं उक्त पत्राचारों के सन्दर्भ में यह ज्ञात हो कि अन्य राज्यों में गठित आयोग द्वारा कार्य पूर्ण करने में समय लगता रहा है। इस राज्य में पूर्व का कोई आधार भी अद्यतन उपलब्ध नहीं है।

(v) कंडिक 4 (ii) में अंकित पत्र वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। संबंधित पत्र वित्त विभाग द्वारा स्वतः अध्ययन कर वास्तविकता का आंकलन करना श्रेयस्कर होगा। तद्नुसार भारत सरकार से पत्राचार अपेक्षित होगा।

4. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन Stamp duty surcharge क्या नगर निकाय को उपलब्ध होता है? यह सम्भवतः RLB एवं ULB दोनों में होना चाहिये। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से जानकारी प्राप्त करना श्रेयस्कर होगा। नगर आयुक्त द्वारा इसे प्राप्त न होने की जानकारी दी गई है।

5. Professional Tax झारखण्ड राज्य में वाणिज्य कर (GST) विभाग द्वारा संग्रह किया जाता है। क्या यह ULB/RLB को स्थानांतरित हुआ है ? यह rural/urban दोनों में प्रभावी करने का प्रावधान सम्बन्धित अधिनियम में है। इस बिन्दु पर Act/नियम के प्रावधानों के साथ प्रशासी विभाग – GST से आपसी विमर्श करना श्रेयस्कर होगा। विमर्श से ही इसके स्थाई समाधान पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। वित्त विभाग की अध्यक्षता में वाणिज्यकर विभाग नगर विकास एवं पंचायत राज निदेशालय प्रभावी समन्वय करना चाहेंगे।

6. वर्तमान में Central Ground Water Board की report- Jharkhand State water table status and permissible extraction क्या है तथा डीप बोरिंग (Tubewell निर्माण) की नीति क्या है ? क्या जल संसाधन विभाग अथवा ULB/RLB/ नगर विकास/पंचायत राज विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कोई नीति निर्धारित है? क्या निर्धारित नीति से कोई राजस्व प्राप्त होता है ? इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना श्रेयस्कर है।

(ii) State Water Policy (जल नीति) की आवश्यकता वर्तमान में Global Warming के क्रम में आवश्यक है। Industry द्वारा ground water use, aqua water industry– bottled water इत्यादि पर WRD/DSWD/UD&HD/RD/ Panchayat/Agriculture dept etc. के साथ विमर्श आवश्यक है। यह एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। यह जीवन का अभिन्न अंग है।

(iii) ULB/RLB/DWSD द्वारा जनसाधारण एवं हाउसहोल्ड को पर्याप्त तथा नियमित जलापूर्ति करने का दायित्व Act में अंकित है। इस दिशा में हुए प्रयास पर एक विशेष प्रतिवेदन (memorandum) अंकित करना अनिवार्य है। यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद स्तर तक तथा सभी ULB स्तर तक का उपलब्ध होना चाहिए। इसके नियमित संचालित रहने के लिए क्या संस्थागत व्यवस्था की गई है, उसकी जानकारी भी स्पष्ट रूप से अंकित रहना चाहिए।

7. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ULB/RLB की स्थिति, coverage, deficit, Sustainable Action Plan तथा अद्यतन प्रयास पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ULB/RLB तथा संबंधित विभागों यथा RD/ST/SC/OBC/Minority Welfare Department इत्यादि से समन्वय आवश्यक है।

(ii) विभिन्न 6 (six) waste management rule इत्यादि के implementation status की जानकारी प्राप्त की जाय।

(iii) पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रभावी Act/Rules/ important GOs/ resolutions को enlist किया जाय।

8. अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि क्या नगर निगम, राँची ने पूर्व के भवन/बहुमंजिली भवन जब RRDA नक्शा पास करता था, उसको Account for किया है।

(ii) वर्तमान में नगर निगम नक्शा पास करता है, क्या नक्शा पास, भवन निर्माण पूर्णता तथा occupancy Certificate issue की कोई online/physical व्यवस्था है?

(iii) निजी एवं छोटे आवास जो पूर्व में बिना नक्शा पास के अनुमान्य था, उसका क्या assessment हुआ है?

(iv) खाली जगहों का क्या Proper assessment हुआ है ?

(v) क्या Technology Intervention-Drone Survey- GOI द्वारा कतिपय राज्यों में किया रहा है, उसकी feasibility इस राज्य में क्या है ? क्या यह इस दिशा में उपयोगी होगा ?

9. शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों (ULB/RLB) मे कई तालाब, मैदान, पार्क, नदी और डैम को उद्गम स्त्रोत एवं कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण कर public use से personal use का मामला समाचार पत्रों में प्रतिवेदित होता है। इसकी वास्तविकता का आंकलन आवश्यक है। इससे राजस्व ह्रास के साथ ही साथ पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसका तुलनात्मक अध्ययन JSAC के map से किया जा सकता है। इस संबंध में क्या प्रगति हुई है? अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं है। संबंधित विभाग यथा UD & HD, जल संसाधन विभाग (WRD), एवं ULBs तथा जिला के द्वारा इसका आंकलन किया जाना चाहिए।

10.(i) नगर निगमों के समुचित विकास हेतु संसाधन आवंटन पर विचार हेतु विभिन्न बिन्दूओं पर जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ii) Amrut Scheme के तहत कौन कौन से नगर निगम/ULB आच्छदित है।

(iii) विभिन्न parameter के Composite Index के आधार पर ULBs की Ranking प्राप्त की जा सकती है।

11. सैरात से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के उपाय खोजने पर बल दिया गया।

12.(i) बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम से DMFT FUND के खर्च करने के प्रावधान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जिस पर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस प्रयोजन हेतु दो संस्थागत व्यवस्था है यथा Governing Body एवं ग्राम सभा, जिसकी अनुशंसा से इस Fund की राशि का खर्च विभिन्न योजना मद में किया जाता है। नगर आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में राँची नगर निगम अंतर्गत DMFT FUND का कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं है। यह ULB DMFT FUND के प्रभाव क्षेत्र में नही पड़ता है।

(ii) श्री अमीत कुमार (भा0प्र0से0) खान विभाग में निदेशक के पद पर पूर्व में पदस्थापित रहे थे। इस कारण इस बिन्दू पर उनका view लिया गया। विस्तृत सूचना संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से प्राप्त करना श्रेयस्कर होगा।

(iii) DMFT एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन है, उसे ULB/RLB के संसाधन विकास में कैसे शामिल कर integrated development किया जाय। यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है।

13 (i) बैठक के दौरान यह प्रकाश मे आया कि नगर निकायों के कर उपार्जन तथा वित्तीय संसाधन के सुदृढीकरण पर कोई study report उपलब्ध नहीं है। इस क्रम में नगर विकास विभाग को किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित एजेंसी से Municipal system के इस बिन्दू एवं अन्य बिन्दुओं पर Need Based Study कराया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि IIM, Ranchi/XLRI, Jamshedpur/IIT (ISM), Dhanbad या HUDCO/National Institute of Urban Planning से भी study कराया जा सकता है। इससे शहरी स्थानीय निकायों का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार हम अपने शहरी निकायों को आर्थिक रूप से सबल एवं गुणवत्तापूर्ण जन सुविधादाता बना सकते है। इससे शहरी स्थानीय निकायों में नीतिगत निर्णय लेकर व्यापक सुधार पर विचार पशासी विभाग UD&HD कर सकता है।

(ii) इंदौर तथा अन्य उन्ननत तथा स्वच्छ शहरी निकायों का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार हम अपने शहरी निकायों को सबल समृद्ध एवं स्वच्छ बना सकते है।

(iii) देश की अन्य ULBs की कतिपय best practices को चिन्हित किया जाय तथा झारखण्ड में उसकी feasibility भी देखा जाय। संबंधित सेवा के प्रभावी कार्यान्वयन का स्पष्ट अनुशंसा किया जाय।

14 (i) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं ULB मिल कर ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि nature of land – CNT/SPT (Prohibited Category) के भूमि पर कोई नक्शा–भवन निर्माण हेतु पास ना हो।

(ii) भवन निर्माण का नक्शा पास, land mutation इत्यादि के बाद निर्माणकर्ता – buyer का registration हो, उसकी money waste ना हो तथा सरकारी व्यवस्था पर अविश्वास ना बढ़े।

(iii) JRERA/केन्द्रीय RERA में सम्भवतः मात्र carpet area पर builder को धनराशि लेना है तथा तदनुसार ही निबंधन होना है। झारखण्ड निबंधन विभाग में इसके प्रतिकुल नियम सम्भवतः है जिसके कारण Flat purchasers निबंधन से बचते है। इस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/नगर विकास विभाग/ULB आपसी विचार विमर्श करें, अन्य राज्यों की प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर, आव"यक सुधार अगर अपेक्षित हो तो किया जाय ताकि राज्य के राजस्व एवं ULB/RLB के राजस्व में वृद्धि हो। क्या 100 प्रतिशत निर्मित तथा Occupancy certificate प्राप्त भवनों का निबंधन है ?

(iv) नगर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान मे Holding Number Generate होने के बाद ही निबंधन होता है। लेकिन नगर आयुक्त को यह जानकारी नही है कि क्या सभी FLAT जिसका Holding सृजित हुआ है, उसका निबंधन हुआ है अथवा नहीं? इसका मिलान दोनो संस्थान यथा निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड एवं निदेशक, नगरीय प्रशासन आपसी समन्वय से करें। यह राजस्व वृद्धि में सहायक होगा। इसके मिलान की ऑनलाईन व्यवस्था विकसित की जाय।

(v) झारखण्ड राज्य में पुराने भवनों का depreciation आधारित मूल्यांकन ना होने के कारणे पुराने भवनों की बिक्री में काफी दिक्कत आने की सूचना है। इससे legal transfer बाधित है। दिल्ली/अन्य शहरों में उपलब्ध व्यवस्था का अध्ययन कर यहा निबंधन महानिरीक्षक तद्नुसार कार्रवाई पर विचार करना चाहेंगे।

15. Traffic Regulation का कार्य ULB क्षेत्र में Traffic Police, ULB तथा परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। Revenue की sharing का कोई formula नहीं है। इस संबंध में महानगरों में प्रचलित मॉडल का अध्ययन कर सरकार के तीनों विभाग यथा गृह विभाग, नगर विकास विभाग एवं परिवहन विभाग एक composite नीति बनाना चाहेंगे।

16. ULBs की grading – sanitation एवं drinking water in Amrut cities के आधाार पर राज्य की composite ranking का प्रावधान है, उसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय।

17. नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया गया ताकि शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से उनके आय संचालन एवं संचालित कार्यों पर चर्चा की जा सके।

18. निदेशक, नगरीय प्रशासन एवं निदेशक, पंचायती राज के बैठक में भाग लेने हेतु नहीं आने के कारण निर्धारित एजेंडा के अधिकतम महत्पवूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा नहीं हो पाई।

अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग द्वारा उक्त दोनों पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। दोनो पदाधिकारियों द्वारा कोई सूचना भी नहीं दी गई। सचिव, वित्त विभाग तथा दोनो पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी जाय।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(अमीत कुमार)	(नितीश कुमार सिंह)	(हरीश्वर दयाल)	(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष आमंत्रित सदस्य	सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष
नगर आयुक्त राँची नगर निगम	राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग

झारखण्ड सरकार

राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांक–वित्त (SFC) (कार्यवाही) –02/24.....24/वि०आ० राँची, दिनांक–5/4/2024

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची/ सभी सदस्य, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची/ श्री अमीत कुमार, नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल
21-03-2024

(कौशल किशोर झा)
उप सचिव,
राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड।